न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **308/2018** दायर दिनाँक **31.08.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनोहरसिंह पुत्र कालूसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–जेवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रणजीतसिंह पुत्र कालूसिंह, 2. शेरसिंह पुत्र कालूसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–जेवललियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पूनियाँ, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **15.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, सारहद जवेलियाबास में खेत खसरा नम्बर 143 रकबा 0.03 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 320/144 रकबा 17.08 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 317/138 रकबा 0.10 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 318/144 रकबा 16.18 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 138 रकबा 01.08 बीघा भूमि तथा खेत खसरा नम्बर 144 रकबा 0.11 बीघा भूमि अवस्थित है, जो वादी प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पैतृक खातेदारी के खेत हैं तथा पूर्व में खातेदार कालूसिंह के खेत थे।

उपर्युक्त खसरान् की भूमियों में कालूसिंह की सन्तानें– मनोहरसिंह के रकबा 17.08 बीघा व रणजीतसिंह के रकबा 17.08 बीघा व शेरसिंह के रकबा 17.08 बीघा भूमि तथा रकबा 0.03 बीघा भूमि गैरमुमकिन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 308 / 2018
दायर दिनाँक 31.08.2018, निर्णय दिनाँक 15.01.2019
मनोहरसिंह बनाम् रणजीतसिंह, वगैरा।

हौद बन्ट में आया था। इसी अनुसार मौके पर कब्जाकाश्त है जिससे रणीजीतसिंह ने खसरा नम्बर 319 / 144 रकबा 05.00 बीघा भूमि लक्ष्मणसिंह को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के बैच दी है।

राजस्व रिकॉर्ड में, शेरसिंह के तो रकबा 17.11 बीघा भूमि सही अंकित कर दी परन्तु वादी के पैतृक अधिकार की भूमि रकबा 17.08 बीघा आनी थी जिसे सहवन से रकबा 12.08 बीघा भूमि अंकित कर दिया गया और रणीजीतसिंह के जहाँ बैचाण के बाद रकबा 12.08 बीघा भूमि ही शेष रहनी चाहिए थी, गलती के कारण रकबा 17.08 बीघा भूमि अंकित कर दिया गया। वादी की भूमि वादी के खाते में से कम करके प्रतिवादी रणजीतसिंह के खाते में दर्ज कर दी गयी। इसलिए दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती का करना लाजमी आया है।

खेत खसरा नम्बर 318 / 144 रकबा 16.18 बीघा में से रकबा 05.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी रणजीतसिंह के खाते में से कम की जाकर खेत के दक्षिण के दक्षिण की भूमि को वादी के खातेदारी में दर्ज की जावे।

खेत खसरा नम्बर 318 / 144 रकबा 11.18 बीघा अंकित कर वादी के खसरा नम्बर 144 रकबा 11.00 बीघा को बढाकर रकबा 16.00 बीघा का खातेदार घोषित किया जाने का दावा बाबत् खातेदारी का करना लाजमी आया है।

वर्तमान में नकल खतौनी लेने से वादी को रकबा 17.08 बीघा के स्थान रकबा 12.08 बीघा का घोषित खातेदार तथा रणजीतसिंह को रकबा 12.08 बीघा के स्थान पर रकबा 17.08 बीघा का घोषित खातेदार के सम्बन्ध में दुरस्ती हेतु दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद जैवलियावास में खसरा नम्बर 144 रकबा 11.00 बीघा के स्थान पर रकबा 16.00 बीघा बढाकर रिकॉर्ड में दुरस्त कर खातेदारी घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी रणजीतसिंह के खेत खसरा नम्बर 318 / 144 रकबा 16.18 बीघा का रकबा 11.18 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 308 / 2018
दायर दिनाँक 31.08.2018, निर्णय दिनाँक 15.01.2019
मनोहरसिंह बनाम् रणजीतसिंह, वगैरा।

के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री ओमप्रकाश पूनियाँ ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

मुताबिक राजीनामा, माफिक अनुतोष वादी, दावा डिक्री किया जावे।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, ग्राम–जैवलियाबास सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 145 / 134 की प्रमाणित प्रतिलिपि, ग्राम जैवलियाबास खेवट संख्या 113 / 107 की प्रमाणित प्रतिलिपि, ग्राम जैवलियाबास सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 97 / 93 की प्रमाणित प्रतिलिपि, ग्राम जैवलियाबास सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 135 / 127 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश ग्राम जैवलियाबास की प्रमाणित पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुला माफिक राजीनामा / अनुतोष वादी माफिक दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं। मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है व माफिक राजीनामा दावा डिक्री की इस्तदुआ पक्षकारान् जरिये वकुलाय कर रहे हैं कि, सरहद जैवलियाबास में खसरा नम्बर 318 / 144 रकबा 16.18 बीघा भूमि में से, रकबा 05.00 बीघा, जो खसरा नम्बर 144 के चिपते हुए पूर्व–पश्चिम की ओर आयताकार क्षेत्रफल में भूमि है, की खातेदारी वादी मनोहरसिंह को दी जावे तथा शेष भूमि खातेदारी बदूस्त रखी जावे। ऐसी सूरत में माफिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना, अदालत को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 308 / 2018
दायर दिनाँक 31.08.2018, निर्णय दिनाँक 15.01.2019
मनोहरसिंह बनाम् रणजीतसिंह, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद जैवलियाबास में खसरा नम्बर 318 / 144 रकबा 16.18 बीघा भूमि में से, रकबा 05.00 बीघा, जो खसरा नम्बर 144 के चिपते हुए पूर्व–पश्चिम की ओर आयताकार क्षेत्रफल में भूमि है, का वादी मनोहरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसरे की शेष भूमि की खातेदारी बदूस्तर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **15.01.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **308/2018** दायर दिनाँक **31.08.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनोहरसिंह पुत्र कालूसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–जेवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रणजीतसिंह पुत्र कालूसिंह, 2. शेरसिंह पुत्र कालूसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–जेवललियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **15.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वादी व श्री ओमप्रकाश पूनियाँ, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद जैवलियाबास में खसरा नम्बर 318/144 रकबा 16.18 बीघा भूमि में से, रकबा 05.00 बीघा, जो खसरा नम्बर 144 के चिपते हुए पूर्व–पश्चिम की ओर आयताकार क्षेत्रफल में भूमि है, का वादी मनोहरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसरे की शेष भूमि की खातेदारी बदूस्तर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.01.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	—		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक–306–2018/रीडर/2019/92 दिनाँक 28/1/19

प्रेषिति:–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनोहरसिंह पुत्र कालूसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–जेवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. रणजीतसिंह पुत्र कालूसिंह, 2. शेरसिंह पुत्र कालूसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–जेवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना।

Scanned by CamScanner